

अपील सूचना का अधिकार संख्या 24/2016 द्रोपदी देवी पत्नि श्री बिहारीलाल बिश्नोई
निवासी 83 एलएनपी जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना
अधिकारी, जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर



24/16
AB

31.03.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया द्रोपदी आज उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीया द्रोपदी देवी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2016 से निम्न सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर से चाही थी:-

प्रार्थी ने दिनांक 10.03.2015 को एक प्रार्थना पत्र अपने पति के शस्त्र लाईसेन्स 12 बोर बन्दूक का लाईसेन्स स्वयं के नाम करने बाबत दिया था प्रा0 पत्र की नकल सलंगन है। प्रार्थना पत्र के साथ मूल लाईसेन्स भी सलंगन किए थे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की प्रमाणित प्रति दिलावें।

अपीलार्थीया द्रोपदी देवी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे दिलवाई जावे।

अपीलार्थीया के अपील पत्र के संबंध अति0 जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 510 दिनांक 01.03.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थीया ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2016 के द्वारा अपने पति के शस्त्र लाईसेन्स पर दर्ज शस्त्र को अपने शस्त्र पर दर्ज करवाने बाबत दिया था उक्त प्रा0 पत्र की गई कार्यवाही की नकल चाही गई थी इस सन्दर्भ में प्रार्थीया को पत्र क्रमांक एकल खिडकी/न्याय/2015/275 दिनांक 29.01.2016 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

अति. जिला मजि0 श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 275 दिनांक 29.01.2016 से अपीलार्थीया को निम्नानुसार सूचित किया गया है:-

आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2016 के द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | बिन्दु | जबाब |
|----------|--|--|
| 1 | प्रार्थीया ने दिनांक 10.03.2015 को एक प्रार्थना पत्र अपने पति के शस्त्र लाईसेंस 12 बोर बन्दूक लाईसेन्स स्वयं के नाम करने बाबत दिया था प्रार्थना पत्र की नकल सलंगन है। प्रार्थना पत्र के साथ मूल शस्त्र लाईसेन्स सलंगन किये थे उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की प्रमाणित प्रति दिलाने | प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2015 पर कार्यवाही कार्यालय की प्रक्रिया में विचाराधीन है। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय होने पर आपको सूचित कर दिया जावेगा। |

अपीलार्थी द्रोपदीदेवी ने एक अन्य प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.01.16 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी जिसकी सूचना नहीं मिलने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीया को अब सूचना मिल


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

27
16
AB
2

चुकी है। प्रार्थी अब इस अपील पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यदि अपील पर कार्यवाही समाप्त की जाती है तो उसे कोई आपति नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी के आवेदन अनुसार उसे सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं और वह अपील पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसलिए इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजि० श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर